प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.05.2024

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 50,000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 12.05.2024 को वादी श्री सागर मावी पुत्र श्री विकम मावी नि० ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद ने तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि अभियुक्त चरण सिंह भाटी, पवन भाटी, विमला, कविता, चंचल, कुलदीप, पूजा, राहुल भाटी, सोनू बघेल, रोहित भाटी, गौरव, टिंकू, विमल, प्रशांत उर्फ मुत्त, निशांत, राहुल रामबाबू, गगन आदि द्वारा वादी व वादी के पिता को पाइपलाइन रोड पर रास्ता रोककर लाठी, डंडो, पिस्टल, तमंचों से लैस होकर घेरकर हमला करना जिससे वादी का सिर फट जाना तथा वादी के पिता की मृत्यु हो जाना। उक्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।

कार्यवाही का विवरण - वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम 1.चरण सिंह पुत्र मंगत राम उम्र करीब 65 वर्ष 2.विमला पत्नी चरण सिंह उम्र करीब 65 वर्ष 3.चंचल पत्नी पवन भाटी उम्र करीब 30 वर्ष 4.पूजा पुत्री चरण सिंह पत्नी कुलदीप उम्र 28 वर्ष नि०गण राधा विहार कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 5.गौरव पुत्र रामकुमार नागर निवासी ग्राम कचेड़ा थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 40 वर्ष 6-कविता पत्नी परशुराम नि0 बी 424 गली न0 02 अशोक नगर दिल्ली 7-विमल पुत्र रामवीर नि0 राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 28 वर्ष 8-प्रशान्त उफ़ मुत्तु पुत्र आनद कुमार नि0 कुम्हार कॉलोनी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 23 वर्ष 9-सोनू मावी पुत्र सुभाष मावी नि0 टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष 10-काले उर्फ़ अंकुर पुत्र संजीव नि0 अमित विहार बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष 11.दीपक उर्फ गोलू पुत्र विनोद दुबे निवासी गली न0 – 6, डायमण्ड स्कूल के पीछे अमित विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष 12.गौरव पुत्र जगवीर निवासी राजेश का किराए का मकान प्रताप नगर थाना हर्ष बिहार दिल्ली उम्र 24 वर्ष 13. टिंकू उर्फ हेमंत पुत्र सतेंद्र नि0 राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल गया तथा 01 बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। उपरोक्त मुकदमें में ही नामित अभियुक्त 14.पवन भाटी पुत्र चरण सिंह निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर थाना आरकेपुरम दिल्ली में अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार हुआ है एवं 15.अभियुक्त गगन को थाना हर्ष विहार दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है।

आज दिनांक 28.05.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त कुलदीप पुत्र रामरिक निवासी मिलक नंगला कोट का पुल थाना दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त की गिरफ्तारी पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 50,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। उक्त प्रकरण में अभी तक कुल 16 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - पूछताछ करने पर अभियुक्त कुलदीप ने बताया कि मैं पवन भाटी का बहनोई हूँ। दिनांक 05.05.2024 को विक्रम मावी ने पवन भाटी के माता पिता व पत्नी के साथ मारपीट की थी जिस कारण से पवन भाटी अपने मामा विक्रम मावी को मारने को आतुर था। विक्रम मावी की हत्या करने से पहले जो प्लानिंग की गई थी मैं भी उसी प्लानिंग में था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

कुलदीप पुत्र रामरिक निवासी मिलक नंगला कोट का पुल थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिये गये व कब्जे से चोरी की गयी चैक बुक व चोरी की घटना से संबंधित 3500/- रुपये बरामद।

दिनांक 27.05.2024 को वादी विपिन चौधरी पुत्र कृष्णपाल सिंह नि0 ब्रजविहार कॉलोनी थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 27.05.2024 को अज्ञात चोर द्वारा दुकान के गल्ले से चैकबुक व 10,000 /- रुपये चोरी कर लिये गये है। उपरोक्त तहरीर पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। तत्पश्चात आज दिनांक 28.05.2024 थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा त्वारित कार्यवाही कर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 03 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिये गये, जिनके कब्जे से चोरी की गयी चैक बुक खाता व 3500/- रुपये बरामद किये गये।

पूछताछ का विवरण पूछताछ करने पर तीनों बाल अपचारी ने बताया कि ये रुपये व चैक बुक वहीं है जो हमनें दिनांक 27/05/2024 को ब्रजविहार कॉलोनी में पेन्ट की दुकान के गल्ले से चुराये थे। हमारे पास यही रुपये बचे हैं। बाकी के रुपये हमने खर्च कर लिये है।

अपराधिक इतिहास

उपरोक्त प्रकरण में थाना मुरादनगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की गयी चैक बुक खाता व 3500/- रुपये बरामद।

अभिरक्षा/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा K.W SRISHTY SOCIETY राजनगर एक्सटेंशन में सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24/25-05-24 को वादी (सिक्योरिटी गार्ड) श्री मोहित कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी के0ड्ब्लू0 सृष्टि राजनगर एक्सटेंशन ने सूचना दी कि मेरे व मेरे साथीगण के साथ सोसायटी के गेट व पार्किग में मारपीट की गयी है। उक्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।
कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया था, सोसायटी में लगे सीसीटीवी व सर्विलांस के माध्यम से घटना में शामिल 03 अभियुक्तगण को दिनांक 28-5-24 को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0 का नाम व पता-

1. विजय चौधरी पुत्र श्री ईश्वर सिंह निवासी I-2103 के डब्ल्यू सृष्टि राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 37 वर्ष।

2. साहिल उर्फ अंश पुत्र सुदेश कुमार निवासी K-201, के.डब्लू. सृष्टि राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गा0बाद उम्र करीब 19 वर्ष।

3. अनिल पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ए-118 जनकपुरी साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद, मुल निवासी- गांव सामनकोठी थाना महल रोहतक हरियाणा उम्र 48 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 24/25-5-24 की रात्रि को हम लोग एक पार्टी से अपनी सोसायटी के0डब्लू0 सृष्टि राजनगर एक्स0 वापस आये तो गार्ड द्वारा हमारी गाडी पर सोसायटी का स्टीकर न लगा होने के कारण गेट पर रोक लिया, गार्ड से इसी बात को लेकर हम लोगो की बहस हो गयी, और फिर हम लोगो द्वारा गार्डस के साथ मारपीट की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का ई- रिक्शा बरामद।

कार्यवाही की विवरण: दिनांक 21.05.2024 को थाना लिंकरोड पर वादी श्री बृहमपाल पुत्र गिरिवर निवासी पी0एम0डी0 रोड झुग्गी झोपडी ग्राम महाराजपुर गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा ई-रिक्शा चोरी कर लिया गया है। तत्काल लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज, चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 28.05.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाला शातिर अभियुक्त फहीम पुत्र इमामुद्दीन निवासी बडी मस्जिद के पीछे, महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को महाराजपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी का ई-रिक्शा बरामद। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह ई-रिक्शा कुछ दिन पहले पी0एम0डी0 रोड झुग्गी झोपड़ी से चोरी की थी। जिससे आज ई-रिक्शा को बेचने की फिराक में था। मैं नशा करने का आदी हूँ नशे की पूर्ति के लिए चोरी करता हूँ। इस प्रकार चोरी किये गये सामान को सस्ते दामों में बेचकर अपने शौक मौज पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

फहीम पुत्र इमामुद्दीन निवासी बडी मस्जिद के पीछे, महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

बरामदगी:-

चोरी का ई- रिक्शा बरामद ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः

थाना लिंकरोड पुलिस टीम ।